पत्रांक–योजना बजट–99 / 2025 920 / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना–15, दिनांक– 25 / 02 / 2025

विषय :– वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2026–27 तक इको–पर्यटन एवं पार्क का विकास योजनान्तर्गत पटना पार्क प्रमंडल, पटना क्षेत्र अंतर्गत पटना शहर में गंगा नदी के दक्षिण तट पर जे०पी० गंगा पथ के समग्र विकास जिसमें विभिन्न प्रकार के पार्को का विकास, लैण्डस्केपिंग, पर्यटन जोन आदि कार्य हेतु कुल ₹13,51,13,314 / – (तेरह करोड़ इक्यावन लाख तेरह हजार तीन सौ चौदह रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹10,43,54,749 / – (दस करोड़ तेतालीस लाख चौवन हजार सात सौ उन्चास रूपये) मात्र के व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2026–27 तक इको–पर्यटन एवं पार्क का विकास योजनान्तर्गत पटना पार्क प्रमंडल, पटना क्षेत्र अंतर्गत पटना शहर में गंगा नदी के दक्षिण तट पर जे०पी० गंगा पथ के समग्र विकास जिसमें विभिन्न प्रकार के पार्को का विकास, लैण्डस्केपिंग, पर्यटन जोन आदि कार्य हेतु कुल ₹13,51,13,314 / – (तेरह करोड़ इक्यावन लाख तेरह हजार तीन सौ चौदह रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹10,43,54,749 / – (दस करोड़ तेतालीस लाख चौवन हजार सात सौ उन्चास रूपये) मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक–196 दिनांक–24.02.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना / प्राक्कलन जो परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–02–पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्यजीव, लघु शीर्ष–112–सार्वजनिक उद्यान, उपशीर्ष–0101–इको पर्यटन एवं पार्क का विकास, मांग संख्या–19, विपत्र कोड–19–2406021120101 के विषय शीर्ष–0101.02.01–मजदूरी, 0101.27.01–लघु कार्य तथा 0101.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबंद्ध कोषागार से की जायेगी।

4. इस योजना के क्रियान्वयन के समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर ही हो।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक–2221 दिनांक–15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 की कंडिका–15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

8. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. स्वीकृत राशि विमुक्ति के समय वर्णित योजना के प्राक्कलित राशि पर सक्षम स्तर का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाय।

11. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।

12. इस योजना अन्तर्गत क्रियान्वित योजना का दो अलग–अलग रंगीन छाया चित्र तथा स्थल जाँच प्रमाण–पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

13. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।

14. जनसाधारण को अवगत कराये जाने एवं पारदर्शिता के निमित्त विवरणी सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जायेगा।

15. संचिका संख्या–99/2025 के पृष्ठ–03/टि० पर दिनांक–25.02.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक–25.02.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

16. संचिका संख्या–99/2025 के पृष्ठ–04/टि० पर दिनांक–25.02.2025 को माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है एवं संचिका के पृष्ठ–05/टि० पर दिनांक–25.02.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/–
(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–99/2025 920 /प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक– 25/02/2025

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

जे०पी० गंगा पथ पर स्थित दीघा गोलम्बर एवं पथ के मीडियन के सौन्दर्यीकरण कार्य का संशोधित सारांश

कार्य विवरणी	प्रस्तावित प्राक्कलित राशि जिसमें संचालन एवं रख–रखाव की राशि शामिल है।	संचालन एवं रख–रखाव की राशि को घटाने के बाद अवशेष राशि
दीघा गोलम्बर (अटल पथ एवं गंगा पथ) के संगम पर का सौन्दर्यीकरण कार्य।	47,67,864.00	35,88,245.00
जे०पी० गंगा पथ के मीडियन पर लैंडस्केपिंग एवं सौन्दर्यीकरण कार्य। (पर्यटन घाट से गोलघर)	13,16,30,674.00	12,29,25,324.00
ड्रिप इरिगेशन प्रणाली एवं जल प्रबंधन का कार्य।	85,99,745.00	85,99,745.00
कुल–	14,49,98,283.00	13,51,13,314.00

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव